भारतीय जनता पार्टी

(केंद्रीय कार्यालय)
11 अशोक रोड, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 233005700; **फैक्स** : 23005787

सांसद, श्री अरूण शौरी द्वारा मंगलवार, 12 मई, 2009 को जारी प्रेस वक्तव्य

घोटाला

एक से भी अधिक सप्ताह से समाचार पत्रों में रिपोर्ट प्रकाशित हो रही हैं कि स्विस अधिकारियों ने हसन अली खां के खातों और लेन–देन के ब्यौरों का खुलासा करने के अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया है क्योंकि भारत सरकार ने वहां जाली कागजात भेजे थे।

अब स्विस सरकार के न्याय मंत्रालय के प्रवक्ता ने सीएनएन/आईबीएन को दिए अपने साक्षात्कार में इसकी पुष्टि कर दी है।

न्याय मंत्रालय के अधिकारी ने यह खुलासा भी किया है कि जालासजी के बारे में इस तथ्य की जानकारी भारत सरकार को काफी पहले ही 2007 के शुरू में दे दी गई थी। उसके कथनानुसार भारत सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह विधि–सम्मत दस्तावेज मुहैया कराए और इस बात की पुष्टि करे कि हसन अली के विरूद्ध मामला आपराधिक प्रकृति का था।

भारत सरकार ने मार्च 2007 में कुछ दस्तावेज भेजे थे – वे भी वे दस्तावेज नहीं थे जिनकी अपेक्षा की गई थी।

तब से भारत सरकार ने इस मामले पर स्विस सरकार से – न तो यह बताने के लिए कि इसके द्वारा भेजे गए दस्तावेज असली और यथेष्ठ थे और न ही यह बताने के लिए कोई सम्पर्क साधा है कि उनके स्थान पर असली दस्तावेजों और उन दस्तावेजों को जो कानून के तहत अपेक्षित हैं, भेजने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

इस रवैये से सिवाय इसके क्या संकेत मिलता है कि जो कुछ किया गया था, वह गलत इरादे से किया गया था ?

इसके अतिरिक्त यह बात भी आघात पहुंचाने वाली है कि सरकार ने इन तथ्यों को एक जनहित याचिका के उत्तर में शपथ–पत्र में उच्चतम न्यायालय से छिपाया था जैसाकि सरकार ने प्रत्यक्षतः दर्शाया है तथा जैसाकि स्विस सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है। उक्त जनहित याचिका चिंता करने वाले नागरिकों द्वारा फाइल की गई थी। जैसाकि सर्वविदित है न्यायालय से – वह भी देश के सबसे बड़े न्यायालय से तथ्यों को छिपाना अपने आम में एक गंभीर अपराध है। सरकार यह बात अच्छी तरह जानती है और फिर भी उसने न्यायालय को तथ्यों को बताने के बजाय उससे तथ्यों को छिपाया है। न्यायालय के माध्यम से लोगों को भी सच्चाई जानने का अवसर मिलता है।

जिस सरकार ने ओटेवियो क्वात्रोच्ची को उस धनराशि को ले जाने की अनुमति दे दी, जिसे न्यायालय के आदेशों पर फ्रीज किया गया था, जिस सरकार ने उस अपराधी को शिकंजे से पूरी तरह मुक्त हो जाने के लिए सीबीआई को प्रयोग किया था, जिस सरकार में भ्रष्टाचार उन ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, जिनके बारे में आज तक कभी नहीं सुना गया, जो सरकार आतंकवाद के प्रति लगातार नरम बनी रही है, वह सरकार अब इतनी नीचे गिर जाएगी कि वह हसन अली खां जैसे ऑपरेटर की सहायता करने के लिए विदेशी सरकार को जाली दस्तावेज तक भेज देती है। इस सरकार की यही चरित्रगत विशेषता है।

खुफिया एजेंसियों तथा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जो कुछ बताया था, उसके आधार पर मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि हसन अली खां –

- के बारे में जाना जाता है कि उसके संबंध दाऊद इब्राहीम से हैं।
- के बारे में जाना जाता है कि वह अज्ञात स्रोतों से काफी बड़ी धनराशि भारत के स्टॉक मार्केट में भेज रहा है।
- के **यूबीएस** और स्विट्‌जरलैंड के अन्य बैंकों में 8 से लेकर 9 बिलियन डॉलर तक जमा है।
- स्विस बैंकों के माध्यम से 35 हजार करोड़ से अधिक के हवाला लेन–देन करने का जिम्मेदार रहा है।

इस सरकार द्वारा ऐसे दुष्टमना ऑपरेटर की सहायता किया जाना ऐसी बात है, जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। यह कर्नाटक की कांग्रेस (आई) की सरकार थी, जिसने इसीके समान कुख्यात तेलगी के बारे में जांच किए जाने

के लिए सीबीआई को अनुमति देने से इंकार कर दिया था और बाद में जांच रास्ते में एक के बाद एक बाधाएं खड़ी कर दी।

जब श्री आडवाणी ने भारत से चुराई हुई धनराशि को भारत वापस लाने की मांग उठाई थी तब देश को भ्रमित करने वाले बयान देने के अतिरिक्त इस सरकार ने हसन अली खां को जिस रूप में मदद पहुंचाई है, उससे इसके चरित्र का पर्दाफाश होता है। सच्चाई यह है कि जब तक ऐसी सरकार पद पर बनी हुई है तब तक देश को उसकी चुराई गई धनराशि वापस नहीं मिलेगी।

किंतु, जो बात दांव पर लगी है वह देश से चुराई गई धनराशि मात्र ही नहीं है। उसके अतिरिक्त –

- देश का सम्मान दांव पर है,
- देश की सुरक्षा दांव पर है

एक बार फिर देश का मखौल बनाया जा रहा है – एक बार फिर, दुनिया को दिखाया जा रहा है कि भारत सरकार निकृष्टतम अपराधियों और उनके सहयोगियों की सहायता करने के लिए हमारे कानूनों और संस्थाओं को कितना तोड़े मरोड ेगी – ठीक उसी तरह जैसा कि दुनिया के अन्य बनाना रिपब्लिक देश करते हैं।

इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा इसी सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इंगित किया है कि काले धन, *हवाला* लेन–देन और टैक्स हैवनों का आतंकवादी और आईएसआई जैसी संस्थाएं आतंकवाद तथा भारत विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं।

एशिया पैसेफिक ग्रुप, जो मनी लॉंडरिंग तथा आतंकवादी गतिविधियों का अध्ययन कर रहा है, ने 2005 में संकेत दिया था कि भारत ने इस संबंध में अपेक्षित कदम नहीं उठाए हैं – यहां तक कि भारत ने संकट का अपेक्षित व्यापक आकलन तक नहीं किया है।

सरकार ने सचमुच ही कुछ नहीं किया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे बड़े अधिकारी 2007 की शुरूआत से ही सार्वजनिक रूप से बल दे रहे हैं कि टैक्स हैवनों से धन लाने–ले जाने पर अंकुश रखने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करने के लिए बैंक गोपनीयता को समाप्त किए जाने की भी जरूरत है, क्योंकि आतंकवादी और उनके आका इन चैनलों का उपयोग कर रहे हैं।

सरकार ने कुछ नहीं किया, इसने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा फरवरी–मार्च 2007 में सतर्क किए जाने पर इतना किया कि स्विस अधिकारियों को जाली दस्तावेज भेज दिए ताकि हसन अली खां की कारगुजारियों के बारे में तथ्यों को जानने की संभावना समाप्त हो जाए।

जून 2008 में श्री एम. वीरप्पा मौइली की अध्यक्षता में गठित सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत बताई थी। आयोग ने अपनी आठवीं रिपोर्ट में उन चैनलों की सूची तथा उन छद्म निवेशों का खुलासा किया था, जिनके तहत आतंकवादी संगठन तथा उनके प्रायोजक भारत में अपनी कारगुजोरी चलाने के लिए धन भेज रहे थे। रिपोर्ट में इस बात पर विशेष आग्रह किया गया था कि मनी लॉंडरिंग विरोधी और आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों को समेकित किए जाने की जरूरत है। आयोग ने इस बारे में कई व्यापक सिफारिशें की थी।

सरकार ने कुछ नहीं किया।

ऐसे गंभीर मामले पर वर्तमान हालात ऐसे है जिनका इस तथ्य से परिचय मिलता है कि मार्च 2009 में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी की गई *इंटरनेश्नल नारकॉटिक्स कंट्रोल स्ट्रेटेजी रिपोर्ट (International Narcotics Control Strategy Report)* पुनः दर्शाती है कि प्रभावी कदम उठाने से बहुत दूर, भारत ने मनी लॉंडरिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के विरूद्ध अपने कानूनी ढांचे को इंटर–ग्वरमेंटल फाइनेशियल एक्शन टॉस्क फोर्स (Inter-Governmental Financial Action Task Force) के अनुरूप तक नही बनाया है। उसने आग्रह किया है कि हमारा देश शीघ्र यह कार्रवाई करे।

हमारा मीडिया से आग्रह है कि वे इन तथ्यों को पुनः फोकस में लाते रहें।

हमारा लोगों से आग्रह है कि वे स्वयं देखे कि इस सरकार द्वारा देश के विकास, इसकी सुरक्षा, इसके सम्मान को किस प्रकार ठेस पहुंचाई जा रही है।

और तब तक उपचारी कदम नहीं उठाए जाएंगे, जब तक वर्तमान सरकार पद पर बनी रहती है।

(श्याम जाजू)
मुख्यालय प्रभारी